न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 30 / 2022
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : 30.05.2022 **निर्णय दिनांक** : 24.04.2025

उनवान

1. हिगंलाजदान पुत्र श्री लक्ष्मणदान चारण निवासी भाकरोदा तहसील सरदारगढ़ जिला राजसमन्द

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. इन्द्रकुंवर पुत्री श्री प्रहलाददान चारण निवासी भाकरोदा तहसील सरदारगढ़ जिला राजसमन्द (राज०)
2. घोल सिंह पुत्र श्री प्रहलाददान चारण निवासी भाकरोदा तहसील सरदारगढ़ जिला राजसमन्द (राज०)
3. नितुकंवर पुत्री श्री प्रहलाददान चारण निवासी भाकरोदा तहसील सरदारगढ़ जिला राजसमन्द (राज०)
4. पिंकु कुंवर पुत्री श्री प्रहलाददान चारण निवासी भाकरोदा तहसील सरदारगढ़ जिला राजसमन्द (राज०)
5. संतोष कंवर पुत्री श्री प्रहलाददान चारण निवासी भाकरोदा तहसील सरदारगढ़ जिला राजसमन्द (राज०)
6. सुमन कुंवर पुत्री श्री प्रहलाददान चारण निवासी भाकरोदा तहसील सरदारगढ़ जिला राजसमन्द (राज०)
7. समरथकुंवर पत्नी श्री प्रहलाददान चारण निवासी भाकरोदा तहसील सरदारगढ़ जिला राजसमन्द (राज०)
8. भागीरथ सिंह पुत्र श्री प्रहलाददान चारण निवासी भाकरोदा तहसील सरदारगढ़ जिला राजसमन्द (राज०)
9. माया कुंवर पुत्री श्री प्रहलाददान चारण निवासी भाकरोदा तहसील सरदारगढ़ जिला राजसमन्द (राज०)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारगढ़ जिला राजसमन्द

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थी की ओर से :– **अधिवक्ता धर्मेश शर्मा**
विपक्षी संख्या 02, 07 की ओर से :– **अधिवक्ता किशनलाल शर्मा**
विपक्षी संख्या 01, 03 से 06, 08, 09 की ओर से :– **एकपक्षीय**

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व गांव भाकरोदा पटवार हल्का जैतपुरा तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द के खाता सं. 108 आराजी नं. 544 रकबा 1.2300 हैक्टेयर, आराजी नं. 545 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नं. 546 रकबा 0.4900 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 1.7300 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 09 नो एवं कालू सिंह पुत्र श्री प्रहलाददान चारण के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। कालू सिंह जो कि अविवाहित फोत हो चुका है, जिसके विधिक वारीस विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 नो है। उक्त वर्णित आराजियात मे प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 09 नो प्रत्येक का 1/18, 1/18 कुल 1/2 हक हिस्सा निहित है। विवादित आराजी पर प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 एक से 09 नो संयुक्त रूप से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा उक्त वर्णित आराजीयात का अभी तक विभाजन नही हुआ है। विवादित आराजीयात संयुक्त शामलाती होने से पक्षकारो के मध्य आये दिन लगान आदि जमा कराने व मेड पाली की घास काटने के बारे मे विवाद होता रहता है तथा प्रार्थी ने कई बार विपक्षी संख्या 01 एक से 09 नो को उक्त आराजियात का विभाजन कराने हेतु कहा लेकिन विपक्षी संख्या 01 एक से 09 नो हर बार टालमटोल करते रहे। उक्त वर्णित आराजियात संयुक्त शामलाती अविभाजित आराजियात है, जिसमे प्रत्येक इंच जमीन पर प्रत्येक सहखातेदार का हक हिस्सा निहित है। लेकिन विपक्षी संख्या 01 एक से 09 नो की नियत मे फितुर पैदा हो गया है तथा विपक्षीगण ने आपस मे मिलीभगती कर उक्त आराजी का बिना विभाजन कराये, प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को हडपने की नियत से आये दिन अजनबी लोगो को लाकर भूमि बैचने की बाते करते है व जबरन बिना विभाजन कराये प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर भी जबरन अवैध निर्माण करा सम्पूर्ण भूमि पर अपना कब्जा करना चाहते है, इस पर प्रार्थी ने विपक्षीगण को कहा कि उक्त आराजी संयुक्त शामलाती है, जिसका बिना विभाजन कराये, उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विकय, हंस्तांतरण नही करे लेकिन विपक्षीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि विपक्षीगण प्रार्थी को विवादित आराजीयात से बेदखल कर देगे व आराजियात को खुर्द बुर्द करके रहेगे। जबकि विपक्षी संख्या 01 एक से 09 नो को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। उक्त आराजी का अभी बटवाड़ा नही हुआ है व शामलाती रूप से काबिज है तथा यदि विपक्षी संख्या 01 एक से 09 नो बिना विभाजन कराये उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द कर देगे व अवैध निर्माण कर लेगे तो प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 नो एवं केताओ जो कि अजनबी व्यक्ति होगे के मध्य कब्जे बाबत अनेका अनेक विवाद बढ़ जायेगा। इस कारण प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 एक से 09 नो को उक्त आराजीयात का विभाजन कराने हेतु दिनांक 20 बीस मई 2024 दो हजार चौबीस को कहा लेकिन विपक्षी संख्या 01 एक से 09 नो तैयार नही हुए व विपक्षी संख्या 01 एक से 09 नो ने प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त विवादित आराजीयात का बिना विभाजन कराये उक्त आराजीयात को विकय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द करके ही रहेगे व जबरन रोड़ की तरफ की भूमि पर बिना विभाजन कराये व बिना कृषि भूमि का सपरिवर्तन कराये, अवैध तरीके से अवैध निर्माण करने पर आमादा है।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

जिन्हे रोका जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। इस कारण से यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। यदि विपक्षी संख्या 01 एक से 09 नो बिना विभाजन कराये विवादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थी को बेदखल कर देगे या प्रार्थी के हक हिस्से को भी किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगे या अवैध निर्माण कर लेगे तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थी के पक्ष मे एवं प्रतिप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 01 एक से 09 नो प्रार्थी को विवादग्रस्त आराजीयात सरहद भाकरोदा पटवार हल्का जैतपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सियाणा तहसील सरदारगढ़ जिला राजसमन्द (राज०) के खाता संख्या 108 एक सौ आठ मे आराजी नम्बर 544 पांच सो चौमालीस रकबा 1.2300 हैक्टयर, आराजी नम्बर 545 पांच सौ पैतालीस रकबा 0.0100 हैक्टयर, आराजी नम्बर 546 पांच सौ छियालीस रकबा 0.4900 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 1.7300 हैक्टयर से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे व नही किसी अन्य से करावे व न ही वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द करे तथा प्रार्थी को अपने हक हिस्से का शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे तथा किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पेदा करे व नही किसी अन्य से करावें व न ही किसी प्रकार का अवैध निर्माण आदि करे व भूमि के वर्तमान स्वरूप मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे व मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे। उक्त वर्णित भूमि का रास्ते को मध्य नजर रखते हुए मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के आधार पर विभाजन कराया जाकर प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 02 दो मे प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 09 नो प्रत्येक का 1/18, 1/18 कुल 1/2 हक हिस्सा की भूमि को अलग खाता कायम कर राजस्व रेकार्ड मे अंकन कराया जाना व राजस्व नक्शे मे तरमीम करायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है और यदि ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही फरमायी गयी और विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 09 प्रार्थी को बिना बटवाडा हुए आराजी से बेदखल कर देगे व भूमि पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण कर पक्का स्थायी निर्माण कर देगे व आराजी को अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द कर देगे तो प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 व केताओ के मध्य अनेका अनेक विवाद बढ़ जायेगे व प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 नो प्रार्थी को उक्त वर्णित भूमि से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे व प्रार्थी को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे तथा विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द नही करे व मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 द्वारा वादग्रस्त आराजी के रहन विक्रय / हस्तांतरण संबधी

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

दस्तावेज विपक्षी संख्या 11 के यहां पेश करे तो विपक्षी संख्या 11 उसका पंजीयन नही करे व विपक्षी संख्या 10 राजस्व रेकार्ड मे कोई परिवर्तन नही करे तथा प्रार्थी को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे व किसी प्रकार का अवैध निर्माण आदि नही करे व न ही स्थायी पक्का निर्माण करे व वादग्रस्त भूमि के वर्तमान स्वरूप मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 02, 07 की तरफ से अधिवक्ता किशनलाल शर्मा ने मूल वाद मे वकालत नामा पेश किया। विपक्षी सं. 1, 3 से 6, 8, 9 बाद तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 02, 07 की तरफ से अधिवक्ता किशनलाल शर्मा ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी ने उपरोक्त अनवान का वाद आप न्यायालय मे अवश्य प्रस्तुत कर दिया है, परन्तु उक्त वाद झुठे एवं मिथ्या तथ्यो पर आधारित होने से वादी को सफलता मिलने की कोई सम्भावना नही है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विपक्षी संख्या 01 से 09 के पूर्वजो के समय से आज से 40 वर्ष पूर्व से बंटवारा हो चुका है एवं बंटवारा माफीक ही उनके पूर्वजो के समय से काबिज है एवं अपनी अपनी कब्जेशुदा भूमि पर आज दिन तक शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करते आ रहे है। जब मौके पर बंटवारा ही हो चुका है तो विवाद करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। मौके पर बंटवारा हो चुका है तो कभी भी प्रार्थी ने विपक्षीगण को विभाजन के लिए नही कहा है, तमाम झुठे तथ्य वर्णित किये है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य बंटवारा होकर मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर खा कमा रहे है मौके पर कोई सामलाती जमीन नही है। विपक्षीगण अपने हक, हिस्से की भूमि विकय, रहन, हस्तान्तरण करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। विपक्षीगण ने प्रार्थी को कभी बेदखल करने धमकीया नही दी है, तमाम झुठे तथ्य वर्णित किये है। मौके पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य उनके पूर्वजो के समय से बंटवारा होकर अपने अपने हक, हिस्से पर काबिज है एवं विपक्षी संख्या 01 से 09 व उनके पूर्वजो ने बंटवारे के पश्चात् मौके पर अपने कब्जे, उपयोग उपभोग की भूमि को लाखो रूपये व्यय कर जमीन को उपजाउ बनाया है एवं अब मौके पर रोड बनने से प्रार्थी के मन मे बदयान्ति आने से विपक्षीगण के कब्जे की भूमि जिस पर लाखो रूपये व्यय किये है, उसको प्राप्त करना चाहता है जो कतई न्यायोचित नही है। विपक्षीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर इच्छा अनुसार उपयोग उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी को रोकने का कोई कानूनी हक, अधिकार प्राप्त नही है। विपक्षी संख्या 01 से 09 ने नई दिवार बनाई है एवं कुंआ ढहने पर उसे पुनः नया निर्माण कराया है, तथा कुंए को गहरा कराया गया है तथा विपक्षीगण के पूर्वज लक्ष्मणदान जी के नाम पर विद्युत कनेक्शन कुंए पर ले रखा है तथा प्रार्थी जबरन विपक्षी के पूर्वज लक्ष्मणदान के नाम का कनेक्शन होते हुए भी चोरी छिपे अवैध कनेक्शन करवा कर जबरन मोटर डाल कर चलाते है। विपक्षीगण के कब्जेशुदा भूमि को विपक्षीगण इच्छा अनुसार उपयोग उपभोग करने के लिए स्वतंत्र नही है, प्रार्थी इस पर किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वपक्षी संख्या 01 से 09 अपने कब्जे, उपयोग उपभोग की भूमि के खातेदार है, जिससे प्रार्थी कोई

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। मौके पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आज से 40 वर्ष पूर्व विभाजन हो चुका है एवं विपक्षीगण अपने हिस्से मे आई भूमि पर लाखो रूपये व्यय कर चुके है। प्रार्थी के कब्जे मे आई भूमि पर प्रार्थी उसका खाता अलग कराने के लिए स्वतंत्र है कभी भी उसे मना नही किया गया है। प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्ट्या मामला है एवं न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है एवं जहां तक अपूर्णिय क्षति का प्रश्न है, यदि विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जाती है तो विपक्षीगण को भारी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ मे कदापि सम्भव नही होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जाकर विपक्षीगण को हर्जा खर्चा दिलाया जावें।

दोनो पक्षों के अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर निर्णय बिन्दुवार निम्न प्रकार है :–

<u>प्रथम दृष्टिया :–</u> विवादग्रस्त आराजियात संयुक्त हक, हिस्से की होकर प्रार्थी के नाम खातेदारी मे दर्ज है एवं प्रार्थीगण अपने हक, हिस्से पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है। विवादग्रस्त आराजियात संयुक्त हक, हिस्से की होकर विपक्षी संख्या 01 से 09 बिना विभाजन कराये किसी अन्य को विक्रय करने पर आमादा है। प्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त आराजियात का खातेदार होकर उक्त भूमि संयुक्त हिस्से की होकर प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज है जिससे प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है।

<u>सुविधा का सन्तुलन :–</u> विवादग्रस्त आराजियात विपक्षी संख्या 01 से 09 बिना विभाजन कराये किसी अन्य को विक्रय करने पर आमादा है। प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग मे बाधा उत्पन्न कर रहा है, जबकि प्रार्थीगण अपने हक, हिस्से की जमीन पर काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग कर रहा है जिससे सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण पक्ष मे साबित है।

<u>अपूर्णिय क्षति :–</u> विवादग्रस्त आराजियात संयुक्त स्वामित्व एवं खातेदारी के हक मे एक–दुसरे सह–काश्तकार द्वारा बिना बंटवारा किये किसी अन्य को भूमि बेचने का विपक्षी संख्या 01 से 09 को कोई हक, अधिकार नही है जिससे अपूर्णिय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रथम दृष्ट्या साबित होने से स्वीकार किया जाता है कि कि राजस्व गांव भाकरोदा पटवार हल्का जैतपुरा तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द के

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट, जिला–राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

खाता सं. 108 आराजी नं. 544 रकबा 1.2300 हैक्टेयर, आराजी नं. 545 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नं. 546 रकबा 0.4900 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 1.7300 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है विपक्षीगण मूल वाद 59/2024 के निस्तारण तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **24.04.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)